रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 680] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 23, 2011/पौष 2, 1933

No. 680] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 23, 2011/PAUSHA 2, 1933

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2011

सा.का.नि. 893(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक उप-निरीक्षक (पुरुष और महिला) समूह-ग के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक उप-निरीक्षक (जनरल ड्यूटी काडर) (अराजपत्रित) (पुरुष और महिला) समूह-ग पद भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "महानिदेशक" से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक अभिप्रेत है;

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "शेप-एक" ऐसे चिकित्सा प्रवर्ग को निर्दिष्ट करता है, जो गृह मंत्रालय या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कार्यकारी अनुदेशों द्वारा शासित होगा;

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में है ।

3. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. अनुरक्षण.—शेष न भरी गई प्रत्येक पद और प्रत्येक रिक्ति, जो उसके पश्चात् उत्पन्न होती है, यथास्थिति, इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएंगी ।

Scanned by CamScanner

6. पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम.—पोषक रैंक में पुरुष या महिला को उसकी ज्येष्ठता के क्रम में उच्चतर रैंक पर प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा पूरी करने से पहले अर्हक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए भेजा जाएगा और बल के प्रत्येक ऐसे सदस्य से, किसी प्रोन्नति से पहले उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट पूर्व प्रोन्नति और प्रोन्नति पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी;

परंतु यदि महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि सेवा की अत्यावश्यकताओं या अन्य अपरिहार्य कारणों से ऐसे कोई सदस्य अपेक्षित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने में समर्थ नहीं है, तो वह प्रोन्नति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे सदस्य द्वारा पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए बल के ऐसे सदस्य को प्रोन्नत कर सकेगा, जिसके न हो सकने पर उसे पूर्वतर रैंक और प्रास्थिति पर प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा ।

7. ज्येष्ठता.—ज्येष्ठता, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी साधारण अनुदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी ।

8. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

9. अधिवर्षिता. (1)—इन नियमों के अधीन नियुक्त ऐसे पुरुष या महिला जो उस मास की अंतिम तारीख के अपराह्न को सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं या कर लेती हैं या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जैसा विहित किया जाए, सेवा से निवृत्त होंगे;

परंतु ऐसे पुरुष या महिला जिसकी जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख है, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर पश्चात्‌वर्ती मास की अंतिम तारीख के अपराह्न को सेवानिवृत्त होगा या होगी ।

(2) किसी पुरुष या महिला को अधिवर्षिता की विहित आयु से परे सेवा में विस्तार मंजूर नहीं किया जाएगा ।

10. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

11. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, खिलाड़ियों, अनुकम्पा पर नियुक्ति व्यक्तियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक उप-निरीक्षक (जनरल ड्यूटी)	13490* (2011) (पुरुष : 13277 महिला : 213) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित, अननुसचिवीय) योधक	वेतन बैंड-1, (रु. 5200-20200) + ग्रेड वेतन रु. 2800	चयन	लागू नहीं होता

Scanned by CamScanner

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति द्वारा :** (i) ऐसे हैड-कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी), जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा के साथ किसी फील्ड यूनिट में हैड कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के रूप में दो वर्ष की सेवा की है । (ii) महानिदेशक, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल द्वारा की गई अपेक्षानुसार समय-समय पर यथाविहित पूर्व प्रोन्नति या प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण हो, (iii) चिकित्सा प्रवर्ग 'शेप-एक' में हो, (iv) अच्छा सेवा अभिलेख रखता हो । फील्ड सेवा की गुणात्मक अपेक्षा उन हैड-कांस्टेबल के मामले में माफ की गई समझी जाएगी, जिन्होंने केन्द्रीय खेल-कूदों या खेलों में सक्रिय रूप से शामिल होते हुए अखिल भारतीय पुलिस खेलों में बल का प्रतिनिधित्व किया हो या जिन्होंने कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाली टीमों के कोच या जो प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण स्टाफ के तौर पर पदस्थ हों । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । (2) प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगठना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतनमान और ग्रेड वेतन पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
(1) उप पुलिस महानिरीक्षक	—पीठासीन अधिकारी	लागू नहीं होता
(2) कमाण्डेण्ट	—सदस्य-I	
(3) सेकण्ड-इन-कमाण्ड या उप कमाण्डेण्ट	—सदस्य-II	
(4) सहायक कमाण्डेण्ट	—सहयोजित सदस्य	

[फा. सं. एम.V-1/2011-पी/सेल/स्था./सी.आर.पी.एफ.]

नीरज कंसल, निदेशक (कार्मिक)

Scanned by CamScanner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2011

G.S.R. 893(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Assistant Sub-Inspector Male and Female) Group 'C' post in the Central Reserve Police Force, under the Ministry of Home Affairs namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Assistant Sub-Inspector (General Duty Cadre) (Non-Gazetted) (Male and Female) Group 'C' post Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Director General" means the Director General, Central Reserve Police Force;

(b) "Competent Authority" means the appointing authority or authority referred to in the Central Reserve Police Force Act, 1949 and the Central Reserve Police Force Rules, 1955;

(c) "SHAPE-ONE", refers to the Medical Category which shall be governed by the executive instructions issued from time to time by the Ministry of Home Affairs or the Central Reserve Police Force;

(d) The words and expressions used herein and not defined, shall have the same meanings assigned to them in the Central Reserve Police Force Act, 1949 and the Central Reserve Police Force Rules, 1955.

3. **Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scales.**—The number of post, their classifications and pay band and grade pay or pay scales attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Maintenance.**—Every post remained unfilled and every vacancy that may arise thereafter shall be filled in accordance with the provisions contained in these rules and the procedure as may be prescribed by the Central Government from time to time.

6. **Pre-promotional courses.**—The person in the feeder rank shall be detailed to undergo, qualifying courses, before completing the service eligibility period for promotion to higher rank, in order of their seniority and every such member of the force shall, before any promotion, be required to pass pre-promotion and promotional courses referred to in the said Schedule :

Provided that if the Director General is satisfied that due to exigencies of service or other unavoidable reasons, any such member is not able to undergo the required pre-promotional courses, he may promote such member of force, subject to passing of pre-promotional courses by such member within two years, from the date of promotion, failing which he shall be reverted to previous rank and status.

7. **Seniority.**—The seniority will be regulated in accordance with the Central Reserve Police Force Rules, 1955 and general instructions, issued by the Central Government from time to time.

8. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) shall be eligible for appointment under these rule, who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

9. **Superannuation.**—(1) The person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of fifty seven years or as prescribed by the Central Government from time to time :

Provided that the person whose date of birth is the first of a month shall stand retire(d) from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.

Scanned by CamScanner

10. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons, to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons.

11. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen, Sportsmen, Compassionate appointments and other special categories of persons, in accordance with the orders, issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
[Assi]stant Sub-Inspector (General Duty)	13490 * (2011) (Male-13277 and Female 213). * Subject to variation dependent upon workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, (Non-Ministerial) Combatant	Pay Band-1 Rs. 5,200-20,200 plus Grade Pay of Rs. 2,800	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or grade from which promotion/deputation to be made
(10)	(11)
By promotion.	**By promotion** (i) Head Constable (General Duty) with five years regular service in the grade with two years service as Head Constable (General Duty) in a field unit. (ii) Should have passed pre-promotional or promotional course or courses prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force from time to time as per requirement. (iii) Medical category "SHAPE-ONE". (iv) Should have good record of service. Qualitative requirement of field service shall be deemed to have been condoned in the cases of Head Constables who are actively engaged in Central Sports or games by representing the Force at the All India Police Games or who serve as coaches or trainers of teams participating at least at national level or those posted as Training Staff in Training Institutions.

4631911-2

Scanned by CamScanner

(10)	(11)
	Note : (1) Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying eligibility service. (2) For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommenda... of the commission.

Composition of Departmental Promotion Committee if exist for promotion		Whether consultation with Union Public Service Commission is required or not
(12)		(13)
(1) Deputy Inspector General of Police	—Presiding Officer	Not applicable.
(2) Commandant	—Member-I	
(3) Second in Command or Deputy Commandant	—Member-II	
(4) Co-opted Member	—Assistant Commandant	

[F. No. M. V-1/2011-P/Cell/Estt/CRPF]

NEERAJ KANSAL, Director

Scanned by CamScanner